



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जुलाई 2025 — आषाढ़ 25, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2025

#### अधिसूचना

क्रमांक RULE-503/30/2025/MED.— राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2018 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश, प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश (एन.आर.आई.) की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

#### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2025 कहलायेंगे।
- (2) यह नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- (3) राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश (एन.आर.आई.) की सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

#### 2. परिभाषायें :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो —

- (क) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)/केन्द्र शासन से अधिकृत परीक्षा एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा;
- (ख) “एजेंसी” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षा एजेंसी;

- (ग) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्रारूप-अनुसूची-एक);
- (घ) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, इन पांचो श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् - "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति", "अन्य पिछड़ा वर्ग" (गैर क्रीमीलेयर), "अनारक्षित" तथा "ई. डब्लू.एस.";
- (ङ) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन;
- (च) "सैनिक" संवर्ग से अभिप्रेत है, प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्रारूप-अनुसूची-दो);
- (छ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" संवर्ग से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्रारूप-अनुसूची-तीन);
- (ज) "दिव्यांगजन" संवर्ग से अभिप्रेत है, ऐसा स्थायी दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (r), (s) एवं (t) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC)/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (DCI) द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण - अनुसूची -चार);
- (झ) "बिना संवर्ग (No Class)" से अभिप्रेत है, वे व्यक्ति जो खण्ड 2 (ङ) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;
- (ञ) "आयोग/परिषद" से अभिप्रेत है, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (DCI);
- (ट) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ में स्थित शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालय;
- (ठ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;
- (ड) "संचालनालय" से अभिप्रेत है, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़;
- (ढ) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में स्थापित महाविद्यालय जो ऐसे नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा अधिसूचित हो जो कि, राज्य शासन द्वारा विहित किए जायें;
- (ण) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

- (त) “शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, ऐसा निजी चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा किसी अन्य शासकीय सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- (थ) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;
- (द) “दस्तावेज” से अभिप्रेत है, मूल दस्तावेज
- (ध) “शासकीय नियतांश” से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालय की सीटों का 50 प्रतिशत (एन.आर.आई. सीटों को छोड़कर शेष सीटों का) शासकीय नियतांश होगा।
- (न) “प्रबंधन नियतांश” से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालय की सीटों का 50 प्रतिशत (एन.आर.आई. सीटों को छोड़कर शेष सीटों का) प्रबंधन नियतांश होगा।
- (प) “अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)” से अभिप्रेत है कि, केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया है।
- (फ) “अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश” से अभिप्रेत है, कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालय की सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश होगा।

#### सामान्य :-

1. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश, विश्वविद्यालय/भारत सरकार/राज्य सरकार/महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे।
2. स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अशंकालिक निजी प्रैक्टिस अथवा अन्य कोई जॉब करने की अनुमति नहीं होगी।
3. अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि, आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसा करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।

### 3. पात्रता :-

(अ) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :-

केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जो परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।

#### तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों।

#### तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा (NEET) नियम 02 (क) (ख) के अनुरूप में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किसी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है तो वह मान्य होगी।

(ब) निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :- प्रथमतः नियम 03 (अ) के अनुसार सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे। जो कि नियम 03 (अ) राज्य के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करते हों, किन्तु राज्य के बाहर के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अर्हताकारी प्रतिशतमक (Percentile) तथा आरक्षित श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा एवं परस्पर समान प्रावीण्यता क्रमानुसार (Common Merit List) ही आवंटन प्राप्त कर सकेंगे।

(स) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अप्रवासी भारतीय (NRI) नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :- शासन के प्रचलित नियमानुसार लागू होगा तथा नियम 3 (अ) पात्रता के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करता हो। नियमानुसार अप्रवासी भारतीय (NRI) सीटों के रिक्त रहने पर प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

**4. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान :-** अल्पसंख्यक महाविद्यालय प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे परंतु उन्हें ऐसी अर्हताओं के संबंध में परीक्षा वर्ष के 15 मार्च तक इस संबंध में संचालक को लिखित सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

**5. सीटों का आरक्षण :-**

- (1) प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय के शासकीय नियतांश में संस्थावार प्रत्येक संस्था की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी, प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी हेतु आरक्षित रहेंगी। इस आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र / ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, दिव्यांगजन संवर्ग हेतु 5 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।
- (3) दिव्यांगजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को (NMC) द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार भरा जायेगा।

दिव्यांगजन प्रमाण पत्र – छ.ग. राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकृत किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के उपरांत राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा समस्त जाँच के पश्चात् जारी किया जाएगा। प्रवेश के एक दिवस पूर्व तक जारी प्रमाणपत्र मान्य होंगे।

- (4) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग 3 प्रतिशत, दिव्यांगजन संवर्ग हेतु 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है। इन संवर्ग में आवेदित अभ्यर्थी उक्त संवर्ग में पात्र होने पर संबंधित संवर्ग की सीटों का आवंटन प्राप्त कर सकेंगे तथा यदि संवर्ग की सीटें समाप्त हो जाती हैं, तो संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के प्रावीण्य सूची की प्राविण्यतानुसार आवंटन के पात्र होंगे। किन्तु यदि संवर्ग में आवेदन के उपरान्त संवीक्षा में अपात्र पाये जाते हैं, तो वे प्रावीण्य सूची से बाहर हो जाते हैं, अर्थात् काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जाते हैं।

**6. चयन प्रक्रिया :-**

- (क) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) / अधिकृत एजेंसी की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :-

- (1) प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (एनट्री) जो कि केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे आती हैं, उन प्रविष्टियों सहित आवेदक का स्वयं प्रविष्ट किया गया मोबाईल नम्बर, ई-मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।

(ख) परीक्षा परिणाम: एजेंसी सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची, और अंक सूची घोषित करेगी। उक्त प्रावीण्य सूची में से पात्र अभ्यर्थियों की सूची राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रावीण्य सूची में नियम 3 और नियम 4 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर प्रावीण्य सूची के अनुक्रम अनुसार नियम 7 के अनुरूप काउंसिलिंग के द्वारा पात्र अभ्यर्थी को महाविद्यालय व पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।

**7. काउंसिलिंग प्रक्रिया** – एन.एम.सी. द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संपूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न की जाएगी। राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटें/राज्य के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटें/राज्य के शासकीय फिजियोथैरेपी महाविद्यालय की सीटें, निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें एवं निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटें के स्नातक पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियम-6 के अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियम-3 (अप्रवासी भारतीय हेतु लागू नियम 13 सहित) के अनुसार संचालनालय द्वारा निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी –

(i) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, ऑनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता या अन्य कोई भी जानकारी जैसे : मूल निवासी, श्रेणी, संवर्ग, अपरिवर्तनीय होंगे। अतः विशेषकर अपनी श्रेणी, संवर्ग चयन करने के पूर्व अपने वांछित प्रारूप में वांछित समयावधि के प्रमाण पत्र का निरीक्षण अवश्य कर लें।

काउंसिलिंग के प्रत्येक चरणों में अभ्यर्थियों को संस्था चयन को परिवर्तन करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

संचालनालय द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉप-अप राउण्ड एवं स्ट्रे राउण्ड चरणों में ऑनलाईन काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय-सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी; चतुर्थ चरण के पश्चात् सीटें रिक्त रहने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाइन काउंसिलिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

(ii) ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आवंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आवंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी।

(iii) ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रुपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति

- हेतु रूपये 500/- (रु. पांच सौ मात्र) तथा अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु रूपये 10000/- (रु. दस हजार मात्र) संचालक चिकित्सा शिक्षा को देय होगी।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध होगी। यदि पंजीयन हेतु चिकित्सा परामर्श समिति (एम.सी.सी.) द्वारा विशेष निर्देश दिये जाते हैं तो उनका पालन किया जाएगा।
- (v) प्रत्येक चरण में नवीन प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी।
- (vi) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे। नोट :- अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डाले।
- (vii) प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आवंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। जिसके अनुसार निर्धारित समयावधि में संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट अवलोकन करें। इस प्रक्रिया में जानकारी लेने में असफल होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- (viii) आवंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में आवंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आवंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु, सभी आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है। तथापि आवंटित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आवंटित शासकीय चिकित्सा संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। जबकि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अतिरिक्त आवंटित महाविद्यालय तथा संवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसिलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे।

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः समान विषय एवं समान संस्था की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

- (ix) वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट से आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आवंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;

- (x) (एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा करायी जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षण शुल्क जमा कर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा जिला चिकित्सा बोर्ड से पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सकीय परीक्षण में पात्र (Fit) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (तीन) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल अर्थात् अपात्र हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा एतद् द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।
- (पाँच) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम चरण काउंसिलिंग द्वारा आवंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शासकीय संस्था हेतु शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था द्वारा नवीन आवंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी तथा नियमतः प्रोसेसिंग फीस शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी।

काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आवंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प पोर्टल पर भरा हों केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आवंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आवंटित की जाती है तत्क्षण ही उसकी प्रथम काउंसिलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रावीण्यतानुसार अगले अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाती है, अतः पूर्व में प्रथम काउंसिलिंग में आवंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते हैं।

शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से तृतीय चरण के प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा किए गए शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में शिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी;

- (छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा;
- (xi) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। जिसमें प्रथम काउंसिलिंग आवंटन उपरान्त संवीक्षा करा पात्र अभ्यर्थी, प्रवेश न ले कर नियम 7 (viii) का पालन करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में

आवंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हों केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रावीण्यतानुसार पूर्व से पंजीकृत अनावंटित अभ्यर्थी एवं नये पंजीकृत अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसिलिंग में पात्र होंगे;

- (xii) प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसिलिंग अथवा अंतिम आवंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए, तृतीय चरण काउंसिलिंग के पश्चात् निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी।

- (xiii) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) काउंसिलिंग ऑनलाईन की जायेगी।

- (xiv) तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) प्रवेश प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी, जिसमें राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें, निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटें/राज्य के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की रिक्त सीटें सम्मिलित की जायेंगी।

- तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) प्रवेश प्रक्रिया में नवीन पंजीकृत एवं पूर्व से पंजीकृत अनावंटित/अप्रवेशित/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सीटें आवंटित की गई एवं प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे)
- शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) प्रवेश प्रक्रिया में अनावंटित/अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीटें आवंटित की गई एवं प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे)।

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी ही तृतीय चरण (मॉपअप राउण्ड) आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

- (xv) स्ट्रे वेकेन्सी / चतुर्थ चरण की काउंसिलिंग के लिए पूर्व से पंजीकृत वह अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में आवंटन नहीं हुआ है एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

- (xvi) प्रथम चरण के उपरान्त किसी भी चरण में आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश न लेने पर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जाएगी।

- (xvii) काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः समान विषय एवं समान संस्था की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।
- (xviii) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) पाठ्यक्रमों की स्नातक सीटों में प्रवेश हेतु समस्त चरणों हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।
- (xix) काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि, वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका भलि-भांति अवलोकन कर ही ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करें। चूंकि हर राउण्ड में पंजीयन कराया जाता है, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन के संपादन (Edit) का विकल्प प्रत्येक चरण में उपलब्ध रहेगा।

(xx) (अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

1. नीट परीक्षा प्रवेश पत्र
2. नीट परीक्षा अंक सूची
3. कक्षा 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र (आयु हेतु)
4. कक्षा 12वीं की अंकसूची
5. छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र जो तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो अथवा फार्म-16 जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के मापदण्डों के अनुसार हो अथवा

अभ्यर्थी के पालक शासकीय सेवा में हो तो सेवा प्रमाण पत्र जो कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ.ग. द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार गैर क्रीमी लेयर में होने की पुष्टि करता है।

8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट : दिव्यांगजन हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है) (यदि लागू हो तो)

(ब) संवीक्षा उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची एवं शुल्क :-

1. आवंटन पत्र
2. शासकीय सेवा बंध पत्र (बॉण्ड) (केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लागू)
3. पाठ्यक्रम छोड़ने का बंध पत्र (ब्रेकेज बॉण्ड) (एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी पाठ्यक्रम में लागू)
4. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (देखे नियम क्र. 7 (X) एक )
5. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण पत्र
6. चरित्र प्रमाण पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)
7. माईग्रेशन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा)
8. गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate) (यदि लागू हो तो)
9. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)

10. पासपोर्ट साईज कलर फोटो 04 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो।
11. शुल्क –(i) शिक्षण शुल्क।  
(ii) निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु एक वर्ष के शिक्षण शुल्क की बैंक गॉरण्टी।  
(iii) अप्रवासी भारतीय श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा एवं प्रवेश के समय इसकी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित दो सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक है।

#### 8. आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण :-

- (1) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित/अंतरित किया जायेगा एवं आवंटन के उपरांत ही आवंटन सूची जारी की जाएगी। निजी चिकित्सा महाविद्यालय की प्रबंधन नियतांश एवं एनआरआई कोटा की आरक्षित श्रेणी सीटों को अंतरण के पश्चात् प्रथमतः राज्य के वास्तविक निवासी अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा।
- (2) किसी भी श्रेणी के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में उक्त मूल श्रेणी के “बिना संवर्ग” में परिवर्तित किया जायेगा।
- (3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।
- (4) यदि आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्त उपनियम अनुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जायेगा।

उदाहरण : मान लो, यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की “सैनिक संवर्ग” की सीट रिक्त रह जाती है तो प्रथमतः उसके संवर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तित हो कर, वह सीट “बिना संवर्ग” की सीट हो जायेगी, इस प्रकार वह सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी की “बिना संवर्ग” की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी “बिना संवर्ग” की सीट रिक्त रह जाती है तो, उसकी श्रेणी परिवर्तित किया जायेगा जिससे वह अनुसूचित जाति के “बिना संवर्ग” की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। इससे स्पष्ट है कि किसी भी “संवर्ग” की सीट पहले “बिना संवर्ग” में परिवर्तित होगी उसके पश्चात् ही उसका श्रेणी परिवर्तन नियमतः होगा।

- (5) ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्त अनुसार अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।

#### 9. शासकीय नियतांश की सीटों का प्रबंधन नियतांश सीटों में परिवर्तन :- शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें राज्य कोटे की

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

द्वितीय चरण के पश्चात एन.आर.आई. कोटे की आरक्षित सीटों के रिक्त रह जाने पर सीटों का अन्तरण किया जाएगा एवं इन सीटों को प्रथमतः राज्य के वास्तविक निवासी अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा।

**10. राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) –**

- (i) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा, कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, शासन द्वारा निर्देशित एक वर्ष की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/जूनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। अन्य पाठ्यक्रमों (बी.डी.एस., फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)) हेतु यह अनिवार्यता नहीं होगी।
- (ii) शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) (प्रारूप-अनुसूची पांच) – प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में यह बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वे नियम 10 (1) के प्रावधानों से सहमत हैं और यदि वे शासन के अधीन कार्य न करने के विकल्प का चयन करते हैं, तो वे नियम 10 (3) में यथा निर्धारित बंधपत्र राशि को जमा करेंगे। उसके द्वारा सम्पूर्ण देय राशि के जमा होने के बाद ही अभ्यर्थी को यथा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (iii) बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि – अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रुपये 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी के छात्र के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रुपये 20,00,000/- (रु. बीस लाख मात्र) होगी।
- (iv) इन नियमों के तहत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरंभ में अस्थायी (अनंतिम) स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आरंभ में स्नातक योग्यता का केवल अस्थायी (अनंतिम) पंजीयन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य मेडिकल पंजी (रजिस्टर) में किया जाएगा।
- (v) अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के एक माह के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाएगी।
- (vi) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छः माह की कालावधि के भीतर छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ऐसे स्नातक डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया बॉण्ड स्वमेव निरस्त समझा जाएगा।
- (vii) नियम 10 (1) के अनुसार सेवा अवधि शर्त पूरी करने के बाद अथवा नियम 10 (3) के अनुसार समस्त देय राशि जमा कर दिए जाने के बाद अथवा अभ्यर्थी से उक्त शेष अवधि

की बैंक गारण्टी लेने के बाद, जैसी भी स्थिति हो (अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विकल्प पर निर्भर) आयुक्त अभ्यर्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

- (viii) तत्पश्चात् अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी।
- (ix) राज्य मेडिकल काउंसिल रजिस्टर (पंजीयन) में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदाय अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा।
- (x) नियम 10 (i) का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड – यदि कोई अभ्यर्थी शासन के अधीन सेवा करने का चयन करता है और नियम 10 (i) के अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है, तो नियम 10 (iii) में यथा उल्लिखित बॉण्ड की सम्पूर्ण राशि की वसूली अभ्यर्थी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में उपरोक्त उपनियम (vi) के अनुसार नियुक्तकर्ता कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को नियम 10 (vii) में यथा उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किए जाएगा, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती।

**11. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित एमबीबीएस, बीडीएस एवं बीपीटी पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र (प्रारूप-अनुसूची 5 'ग') :-** तृतीय चरण की काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरान्त सीट के परित्याग पर निम्न तालिका के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

| स.क्र. | पाठ्यक्रम | अनारक्षित श्रेणी | आरक्षित श्रेणियों (ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी सहित) |
|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| 1      | एमबीबीएस  | रु. 25.00 लाख    | रु. 20.00 लाख                                |
| 2      | बीडीएस    | रु. 5.00 लाख     | रु. 4.00 लाख                                 |
| 3      | बीपीटी    | रु. 2.5 लाख      | रु. 2.00 लाख                                 |

विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट (Medically Unfit) हो जाता है जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफिट बताया जाता है तो बंधपत्र (बॉण्ड) राशि में छूट दी जा सकेगी।

**12. प्रवेश रद्द करना :-** यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। संस्था प्रमुख के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यालय आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा में अपील कर सकेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद

या शंका की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।

### 13. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता एवं नियम जानकारी :-

(अ) पात्रता : केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो अथवा राज्य के बाहर का निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण की हो

#### तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों।

#### तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा (NEET नियम 02 (क) (ख) के अनुरूप) में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किसी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है, तो वह मान्य होगी।

(ब) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि, आरक्षण एवं शुल्क :- छ.ग.राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4 प्रकाशन क्रमांक 279 दिनांक 03 जुलाई 2017 के अनुसार प्रत्येक निजी महाविद्यालय की 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटों में संस्थावार प्रत्येक संस्था की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

**शुल्क :-** अप्रवासी भारतीय श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा एवं प्रवेश के समय इसकी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :- प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

**(स) अप्रवासी भारतीय नियतांश के लाभ हेतु पात्रता एवं दस्तावेज :-**

1. अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक में माता या पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करता हो (जैसे : संबंध पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
2. विदेश में निवास के प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।
3. OCI (Overseas citizen of India) के अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की NRI सीटों के लिए पात्र होंगे. (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.C. 891 of 2021 dated 03-02-2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार )
4. एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की स्टेटमेन्ट कॉपी।
5. वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्ड की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।
6. प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम 7 (xx) में उल्लेखित दस्तावेजों की भी आपूर्ति करना होगा।

**(द) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :-** प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

**14. केन्द्र शासन द्वारा अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा भारतीय दंत परिषद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।**

**15. कठिनाइयों का निराकरण :-** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

**16. प्रावीण्य सूची की समाप्ति :-** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।

**17. निरसन :-** इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से “छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा स्नातक/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) प्रवेश परीक्षा” से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**लवीना पाण्डेय**, उप-सचिव.

## अनुसूची – एक

## छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक .....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी  
.....निवासी.....तहसील.....  
जिला ..... छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक  
शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है ।
6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :-  
(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा ।  
(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।  
(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा ।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

ऐसे बाबत जो उपरोक्ता मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम एवं सील

अनुसूची – दो

## प्रारूप (अ)

## सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) .....

जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित ..... परीक्षा के आधार पर

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) ..... के पिता/माता

है।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौ सेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्त/सेवामृत्ति के समय वे .....

पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक ..... था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में ..... पद पर सर्विस क्रमांक ..... के अधीन

सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से

निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ..... में हो चुकी है।

स्थान .....

दिनांक .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय सील

अनुसूची – दो

प्रारूप (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता है, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ..... (स्थान) तहसील ..... जिला ..... छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

स्थान .....

दिनांक .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील, सैनिक कल्याण अधिकारी

अनुसूची – दो

प्रारूप (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) है, वह थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में ..... ओहदे पर सर्विस क्रमांक ..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा .... इकाई में पदस्थ हैं। वे इस इकाई में दिनांक ..... से सेवारत है।

स्थान .....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक .....

कार्यालय सील, कमांडिंग ऑफिसर

## अनुसूची – तीन

## प्रारूप

## स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण – पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) .....

श्री/सुश्री .....(अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री  
 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है श्री/सुश्री ..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी  
 का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला ..... के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम  
 सेनानी की पंजी में क्रमांक ..... पर पंजीकृत है।

स्थान .....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक .....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत  
 डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का  
 राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

अनुसूची – चार

## प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.—0771—2234451, फैक्स नं. 0771—2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक /

/ संचिषि /

रायपुर, दिनांक /

## प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट  
साईज  
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....., पिता— श्री ....., उम्र—...  
.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड  
के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी  
शारीरिक निःशक्तता .....पाई गई। उनकी कुल निःशक्तता ..... प्रतिशत है, जो कि एन.एम.सी.  
द्वारा निर्धारित दिव्यांग श्रेणी की पात्रता के नवीनतम मापदण्डों के अनुसार मान्य है।

पहचान का निशान— .....

(अध्यक्ष)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

## अनुसूची – पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....  
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2. यह कि मुझे वर्ष ..... में आयोजित “नीट –.....” प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय .....में शैक्षणिक सत्र ..... में ..... सीट आवंटित की गई है ।
3. यह कि वर्ष ..... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक ..... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका ..... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भली-भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन एक वर्ष की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपये .....शब्दों में (रुपए..... ....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व छ.ग. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा ।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

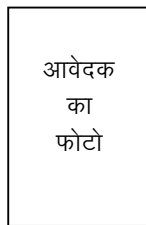
गवाह : —

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

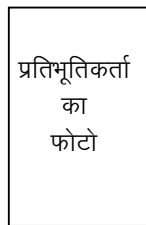
आवेदक/निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर



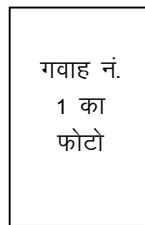
आवेदक  
का  
फोटो

आवेदक



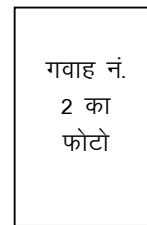
प्रतिभूतिकर्ता  
का  
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता



गवाह नं.  
1 का  
फोटो

गवाह 01



गवाह नं.  
2 का  
फोटो

गवाह 02

### प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

## अनुसूची-पांच (ख)

(250/- के नानज्योडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

## छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री .....आत्मज/आत्मजा श्री.....  
निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय .....में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

- मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम - ..... " एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
- मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
- मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-
  - मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक (01) वर्ष की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/जूनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
  - मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक शासकीय सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
  - मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा शासकीय सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।
  - यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा तृतीय चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र ..... हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता .....

फोन नं. ....

|                       |
|-----------------------|
| अभिभावक<br>का<br>फोटो |
| अभिभावक               |

|                              |
|------------------------------|
| प्रतिभूतिकर्ता<br>का<br>फोटो |
| प्रतिभूतिकर्ता               |

हस्ताक्षर अभिभावक

## प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....  
उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित :-

1.....

2.....

|                           |
|---------------------------|
| गवाह नं.<br>01 का<br>फोटो |
|---------------------------|

1. गवाह

|                           |
|---------------------------|
| गवाह नं.<br>02 का<br>फोटो |
|---------------------------|

2. गवाह

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नाम : .....

पता : .....

.....

## अनुसूची-पांच (ग)

## (सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्योडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री .....आत्मज/आत्मजा श्री.....  
 निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय .....में स्नातक पाठ्यक्रम  
 (एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक .....  
 ..... दिनांक ..... "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश  
 नियम - ..... एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-

यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा तृतीय चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त  
 शिक्षण सत्र ..... हेतु एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया  
 जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी /आरक्षित श्रेणी हेतु नियम 11 में उल्लेखित सम्पूर्ण राशि शासन  
 / निजी महाविद्यालय को देय होगी।

पता .....

फोन नं. ....

|                       |
|-----------------------|
| अभिभावक<br>का<br>फोटो |
| अभिभावक               |

|                              |
|------------------------------|
| प्रतिभूतिकर्ता<br>का<br>फोटो |
| प्रतिभूतिकर्ता               |

हस्ताक्षर अभिभावक

## प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी .....

उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : -

1.....

2.....

|                           |
|---------------------------|
| गवाह नं.<br>01 का<br>फोटो |
|---------------------------|

1. गवाह

|                           |
|---------------------------|
| गवाह नं.<br>02 का<br>फोटो |
|---------------------------|

2. गवाह

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नाम : .....

पता : .....

.....

Nava Raipur Atal Nagar, the 16th July 2025

### NOTIFICATION

File No. RULE-503/30/2025/MED.— The State Government hereby supersedes the Chhattisgarh Medical, Dental, and Physiotherapy Undergraduate Admission Rules, 2018, and makes the following rules for admission to all undergraduate course seats under the State Quota in Government Medical, Dental, and Physiotherapy Colleges of Chhattisgarh State, as well as to seats under the Government Quota, Management Quota, and Non-Resident Indian (NRI) Quota in undergraduate courses of Private Medical, Dental, and Physiotherapy Colleges.

### RULES

#### 1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These rules will be called the Chhattisgarh Medical, Dental and Physiotherapy Under Graduate Admission Rules-2025.
- (2) These rules shall come into force with immediate effect in the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) Admission to all seats in State quota undergraduate courses in Government Medical, Dental and Physiotherapy Colleges in the State and to Government quota, Management quota and Non-Resident Indian (NRI) quota seats in undergraduate courses in private medical, private dental and private physiotherapy colleges shall be given on the basis of these rules.

#### 2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Entrance Examination" means National Eligibility cum Entrance Test (NEET)/ Entrance Examination conducted by the Central Government authorized examination agency;
- (b) "Agency" means the examination agency appointed by the Central Board of Secondary Education or the Central Government;
- (c) "Domicile" means a candidate who is a bonafide resident of the State of Chhattisgarh as per the instructions issued by the Government of Chhattisgarh from time to time (Format of Certificate Schedule-I);

- (d) "Category" means any one of the five categories, namely, "Scheduled Caste", "Scheduled Tribe", "Other Backward Classes" (Non-Creamy Layer), "Unreserved" and "Economically Weaker Section" (EWS);
- (e) "Class" means women, soldiers, freedom fighters, person with disability;
- (f) 'Defense Class' means son/daughter of ex-servicemen who have served as Defense Personnel, serving Defense Personnel and such Defense Personnel who died during service or became permanently disabled during service and who are domicile of Chhattisgarh or are presently posted in Chhattisgarh (as on before) 01 January of the year of examination (Format of certificate Schedule -II)
- (g) 'Freedom Fighter' cadre means such candidates whose grandparents' name is included in the list of freedom fighters maintained in the Collectorate of any district of Chhattisgarh (Format of certificate Schedule-III);
- (h) "Person with disability" class means a person with permanent disability who falls under the category of physically handicapped as defined under (r), (s) & (t) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), but who has not been declared ineligible for admission into MBBS/BDS by the National Medical Commission (NMC)/Dental Council of India (DCI) (Format of Certificate of Eligibility Schedule-IV);
- (i) "No Class" means persons who do not fall under any of the classes mentioned in clause d) of sub-section (2);
- (j) 'Commission/Council' means the National Medical Commission (NMC) for MBBS course and Dental Council of India (DCI) for BDS course;
- (k) "College" means Government and private Medical / Dental / Physiotherapy colleges situated in Chhattisgarh;
- (l) "Director" means the Director of Medical Education, Chhattisgarh;
- (m) 'Directorate' means the Directorate of Medical Education, Chhattisgarh;
- (n) "Minority college" means a college established in the State by religious or linguistic minorities under Article 30 of the Constitution of India and recognized or notified under such rules as may be prescribed by the State Government;
- (o) "State Government", means the Government of Chhattisgarh;

- (p) "Government Aided College" means a private medical or dental or physiotherapy college which has received the right to use a movable property or immovable property or Government hospital or any other Government property or has received any assistance from the State Government in the form of financial aid;
- (q) "University" means PT. DEENDAYAL UPADHYAY MEMORIAL HEALTH SCIENCES AND AYUSH UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, situated in Chhattisgarh;
- (r) "Document" means the original document;
- (s) "Government quota" means 50 percent of the seats in Private Medical College, Private Dental College and Private Physiotherapy College (excluding NRI seats) shall be the Government quota.
- (t) "Management quota" means 50% of the seats in Private Medical College, Private Dental College and Private Physiotherapy College (excluding NRI seats), the remaining seats shall be Management quota.
- (u) "Non-Resident Indian (NRI)" means a person as defined/declared in the laws/rules/notifications/orders issued by the Central Government.
- (v) "Non-Resident Indian (NRI) quota" means that 15 percent of the seats in Private Medical College, Private Dental College and Private Physiotherapy College shall be Non-Resident Indian (NRI) quota.

**General :-**

1. The Undergraduate Degree Courses/Entrance Examination, Allotment, Admission will be governed and regulated by the rules and regulations of the University / Government of India / State Government / Autonomous Society of the College for the time being in force.
2. The undergraduate courses will be full-time courses as prescribed by the University/Government of India/State Government from the date of admission. Students will not be allowed to do part-time private practice or any other job during the entire study period.
3. Candidates must provide and submit correct information as required. Candidates are advised to read the rules carefully before filling the application form and fill in the required information completely and correctly and also attach the required documents as required, failing which the applicant will not be entitled to the entrance exam, allotment and province etc.
4. Every candidate must abide by the rules and regulations of the University and College and pay the prescribed fee.
5. All instructions issued by the Government from time to time for the concerned colleges will be applicable.

**3. Eligibility :-****(a) Eligibility for Government quota seats of Government Medical College, Government Dental College and Government quota seats of Private Medical College and Private Dental College :-**

Only that candidate will be eligible for admission who is a citizen of India, a domicile resident of Chhattisgarh and who has attained the minimum age of 17 years on 31 December of the examination year.

and

Who has passed the 12th class examination of Chhattisgarh Board of Secondary Education or equivalent examination of other state boards of secondary education duly recognized by Chhattisgarh Government in English, Physics, Chemistry and Biology / Biotechnology subjects and has secured minimum 50% marks in total in Physics, Chemistry and Biology / Biotechnology subjects for unreserved category and minimum 40% marks in total in for reserved category.

and

For admission to Medical and Dental courses, a candidate who has secured minimum 50 percentile for unreserved category candidates, minimum 40 percentile for reserved category candidates and 45 percentile for unreserved category PWD candidates as per NEET Entrance Examination as per rule 02 (a) & (b) or category-wise minimum qualifying marks prescribed by NEET Entrance Examination, whichever is lower will be accepted. (There will be no minimum qualifying marks for admission to Physiotherapy course) .If the percentile is reduced by the Central Government in all categories/any category of NEET, then that will be valid.

**(b) Eligibility for seats in Management quota of Private Medical College and Private Dental College :-** Firstly, as per Rule 03 (a), candidates of all categories will be eligible and candidates from outside Chhattisgarh State will be eligible who fulfill all the eligibility criteria except Rule 03 (a) being a native of the State. But reserved category candidates from outside the State will not be given the benefit of qualifying percentile and reservation of reserved category and will be able to get allotment only on the basis of common merit list.

**(c) Non-Resident Indian (NRI) quota of private medical and dental colleges :-**

Eligibility for seats will be as per Government of rules in force and the candidate must fulfill all other eligibility criteria Rule 3(a)

except being a native, As per the rules, if Non-Resident Indian (NRI) seats remain vacant, they can be converted into Management quota seats.

**4. Special provisions for admission in minority colleges.** Minority colleges may also determine additional other eligibility criteria for admission but they will have to give written information in this regard to the Director by 15th March of the examination year so that they can be included in the admission brochure.

**5. Reservation of seats :-**

(1) In every Government College and Government quota of Private College, 32 percent of the seats in each institution shall be reserved for the Scheduled Tribes, 12 percent for the Scheduled Castes and 14 percent for the Other Backward Classes (except Creamy Layer). In every government college 10 percent seats will be reserved for EWS. To avail the benefit of this reservation, it will be mandatory for the candidate to produce the permanent caste certificate or EWS certificate of Chhattisgarh State.

(2) There will be horizontal reservation of 3 percent for Defense Class, 3 percent for freedom fighter class, 5 percent for Person with disability class and 30 percent for women class in all categories.

(3) Seats reserved for person with disability shall be filled up as per the eligibility criteria prescribed by NMC.

**Disability Certificate :-** Only the certificate issued by the State Medical Board Chhattisgarh will be accepted. This certificate will be issued by the State Medical Board after receiving application from the candidate applies and after conducting all examinations and tests. Certificates issued one day before admission will be valid.

(4) In all categories, 3% horizontal reservation is available for Defense Class, 3% for freedom fighter class and 5% for PWD class. Candidates applying in these class, if eligible in the said class, will be able to get allotment of seats of the respective class and if the seats of the class get exhausted, then eligible candidates of the class will be eligible for allotment as per merit in their category. But if after applying in the class, they are found ineligible in the scrutiny, then they are excluded from the merit list, that is, they become ineligible for counselling.

**6. Selection Process:-**

(a) Application for National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for entrance examination conducted by authorized agency

(1) Online applications will be invited for the entrance examination as per the dates fixed by the Agency.

(2) The entries in the online application which are directly taken from the examination result data provided by the Central Government, along with the entries like mobile number, e-mail address entered by the applicant himself, will remain unchanged.

(b) Result of Examination: The Agency will declare the category wise merit list and marks list of all the candidates. Only the list of eligible candidates from the said merit list will be made available to the Directorate by the National Examination Agency.

Only eligible candidates will be included in the merit list as per Rule 3 and Rule 4. Eligible candidates will be allotted colleges and courses through counselling as per Rule 7 according to the order of the merit list on the seats available in the state quota.

**7. Counselling Process :-** The entire counselling process will be conducted online as per the instructions given by NMC.

Online counselling will be done by the Directorate as per Rule-3 on the basis of merit list prepared as per Rule-6 for admission to available seats in undergraduate courses of Government Medical College of the State, Government quota seats of Private Medical College and Management quota and NRI quota seats of Private Medical College/Seats of Government Dental College of the State, Government quota seats of Private Dental College and Management quota and NRI quota seats of Private Dental College/Seats of Government Physiotherapy College of the State, Government quota seats of Private Physiotherapy College and Management quota and NRI quota seats of Private Physiotherapy College on the basis of merit list prepared as per Rule-6.

(i) After the merit list is declared as mentioned above, online applications will be invited for the seats in Chhattisgarh State. The eligibility or any other information entered at the time of online application such as domicile, category, class will be immutable. Therefore, especially before selecting your category, class, make sure to inspect the certificate of the desired time period in the desired format.

Candidates will have the option to change the institute selection in each round of counselling.

The Directorate will conduct online counselling in four rounds namely the first, second, mop-up round and stray vacancy round, the time-table of which will be published (announced) on the Directorate's website from time to time. In case seats remain vacant after the fourth round, the number of rounds of online counselling can be increased before the last date of admission.

(ii) Online counselling will include the process of registration, Choice filling , allotment, verification of original documents and admission to the allotted seats.

(iii) An amount of Rs. 1000/- (Rs. One thousand only) for unreserved category and OBC category and Rs. 500/- (Rs. Five thousand only) for Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Rs.

10000/- (Rs. Ten thousand only) for NRI quota shall be payable to the Director of Medical Education as online counselling fee.

(iv) Online application and registration process will be available at every round of counselling. If special instructions are given by the Medical Counselling Committee (MCC) for registration, then they will be followed.

(v) Fresh merit list will be issued at each round.

(vi) As per the counselling schedule published on the website, the candidate will have to fill in the options. Candidates will be able to give options for all the available colleges and courses in sequence. Note: Candidates should not fill only one option, they should enter multiple options as per their wish.

(vii) Allocation of course and college will be done as per the merit list which will be displayed on the Directorate's website. Accordingly, it will be mandatory to complete the verification and admission process within the stipulated time period. For this, the candidate should visit the website regularly. The candidate will be fully responsible for failing to get information in this process.

(viii) After allotment, it will be mandatory for the candidates to appear in person at the allotted institution for verification of documents by the last date of admission mentioned in the allotment letter. In case the candidate does not appear for verification at the allotted institution after the allotment, he will automatically be out of the counselling and admission process in the current academic session.

It will be compulsory to take admission in Government Medical College, but it will not be compulsory to take admission in Private Medical College/Government Dental College/Private Dental Colleges. However, it is compulsory for all the allotted candidates to undergo scrutiny and qualify in the scrutiny. However, candidates who do not take admission in the allotted Government Medical College will be out of the counselling process. On qualifying in the scrutiny of documents, the candidates will be able to give the option of taking admission in the allotted Government Medical Institution and remain in the counselling process. Whereas, candidates other than Government Medical College, who are eligible in the scrutiny of the allotted college, will be able to give the option of remaining in the second counselling without taking admission in the institution.

Once a seat in a subject and institute is allotted to a candidate in any round of counselling or allotment process, the same subject and same institute will not be allotted to him/her again.

(ix) Candidates who choose the option of taking admission will have to take a print out of the allotment letter from the website and complete their admission process in the allotted

college as per the released time table. After admission, the candidate will have the option to continue in the counselling process or make his admission permanent and opt out of all the subsequent rounds of counselling on the portal;

(x) (1) The College will get the documents scrutinized on presentation of the candidate and the candidate will have to submit a medical Fitness Certificate for the course from the Committee constituted by the Medical College or the District Medical Board after depositing the prescribed medical examination fee.

(2) The candidate shall be granted admission only after he/she qualifies in the document scrutiny and medical examination;

(3) If they fail in the above mentioned process i.e. are disqualified, they will be declared ineligible from the admission process for the current academic session;

(4) The candidates will have to complete all the formalities, pay the requisite fee within the prescribed last date of admission and take admission in the college allotted to them.

(5) In case of change of college/course after upgradation, the difference in the tuition fee of the colleges allotted through first stage counselling (less/more) will be handed over to the candidate or taken from the candidate respectively as the case may be. For government institute, the remaining amount will be transferred by the previously admitted institute to the newly allotted institute and as per rules, 10 percent of the tuition fee will be deducted as processing fee.

Candidates who opt to remain in the counselling process will be allotted courses and colleges in the second round in the order of merit list and only those students who have filled the option of upgradation on the portal after allotment in the first round of counselling will be able to get upgradation in the second counselling and it will be mandatory to take admission in the subject and institute allotted to them in the upgradation, because in the upgradation process, the applicant who is upgraded and allotted a new subject and institute, his seat in the first counselling is considered vacant immediately and is allotted to the next candidate as per his merit. Hence, the subject and institute allotted to him in the first counselling cannot be continued.

If a candidate admitted in a Government/Private institution leaves the seat before the last date of third round admission, then 10% of the tuition fee will be deducted from the deposited fee as processing fee and the remaining amount will be returned to the candidate.

(6) Candidates will have to submit all original documents at the time of admission to the College;

(xi) Second round counselling will also be done through online process. In which eligible candidates who are eligible after scrutiny after the first counselling allotment, and who do not take admission and opt to remain in the counselling process by following the rule 7 (viii), will be allotted courses and colleges in the second round in the order of merit list and only those students admitted after allotment in first round of counselling, who have filled the option for upgradation, will be eligible for upgradation in the second counselling and the previously registered unallocated candidates and newly registered candidates as per their merit will also be eligible for second counselling;

(xii) Students admitted in the Institute after allotment in the first online counselling will be eligible for upgradation only in the second online counselling.

Students admitted in the institute after allotment in second counselling will not be able to participate in future counselling or final allotment and all admitted candidates will be required to pay the amount of prescribed bond mentioned for cancellation of admission after the last date of admission fixed after third round counselling.

(xiii) The third round (mop-up round) of counselling will be conducted online for the seats left vacant after the second round of counselling till the last date of admission to the college.

(xiv) The third round (mop-up round) admission process will also be online, in which seats in State Government Medical College, Government quota seats in Private Medical College, Management quota and NRI quota seats of Private Medical College/seats in State Government Dental College, Government quota seats in Private Dental College, Management quota and NRI quota seats of Private Dental College will be included.

In the third round (mop-up round) of admission process, newly registered and previously registered unallocated/unadmitted/admitted candidates admitted in dental colleges will only be eligible for admission in medical colleges. (But those who were previously allotted seats in government medical colleges and did not take admission will be ineligible)

Only those candidates who are not allotted/unadmitted and newly registered in the third round (mop-up round) of admission process will be eligible for admission in Government Dental College/Private Dental College. (But those who were allotted seats in Government Dental College earlier and did not take admission will be ineligible).

Only the eligible candidates as per above will be able to participate in the third round (mop-up round) allotment and admission process.

(xv) For stray vacancy/ 4th round counselling only those candidates who have already registered and who have not been allotted in the previous rounds and the newly registered candidates will be eligible.

(xvi) If a candidate does not take admission after allotment in any round except for the first round of counselling the security deposit amount will be forfeited.

(xvii) Once a seat in a subject and institute is allotted to a candidate in any round of counselling or allotment process, the same subject and same institute will not be allotted to him/her again.

(xviii) For under graduates seats of physiotherapy courses online counselling process will be conducted for all the rounds.

(xix) Instructions regarding counselling and eligibility will be published separately by the Director in the form of a brochure, which will be available on the Directorate's website. Candidates are directed to start the process of online application only after thoroughly reviewing the brochure regarding their eligibility and counselling process, since registration is done in every round. Therefore, the option of editing the online application will be available to the candidates in every round.

(xx) (A) List of documents required for scrutiny of counselling-

1. NEET Exam Admit Card
2. NEET Exam Score Card
3. Class 10th mark sheet / birth certificate (for age)
4. Class 12th mark sheet
5. Chhattisgarh State Domicile Certificate (if applicable)
6. Permanent caste certificate of Chhattisgarh state (if applicable)
7. Caste certificate for OBC and income certificate of any one of the last three years issued by the Tehsil office or Form-16 which fulfils the criteria issued by the General Administration Department of Chhattisgarh.

or

If the parent of the candidate is in government service, then the service certificate confirming that he is in the non-creamy layer as per the norms issued by the General Administration Department, Ministry of Chhattisgarh.

8. Certificate as per appendix for Class Defense/PWD/Freedom Fighter (Note: For PWD it is mandatory to submit certificate as per appendix) (if applicable)

(B) List of documents and fees required for admission in the college after scrutiny:-

1. Allotment letter
2. Government Service Bond (Applicable only for MBBS course)
3. Breakage Bond (Applicable to MBBS/BDS/BPT Courses)

4. Medical Fitness Certificate (See Rule No. 7 (x) 1)
5. Transfer Certificate / Transfer Certificate with Character Certificate
6. Character Certificate (issued by School/College/Gazetted Officer)
7. Migration Certificate (if student of other university time can be provided with affidavit)
8. Gap Certificate (if applicable)
9. Aadhaar Card/Any other valid photo ID (like ID card issued by school or college/Driving License/Passport)
10. 04 copies of passport size colour photographs made from the same negative
11. Fee - (i) Tuition fee.  
(ii) Bank guarantee for one year's tuition fee for private medical colleges.

It is necessary to bring two sets of self attested photo copies of all the above documents.

**8. Conversion/Transfer of reserved seats to other reserved category/unreserved category:-**

(1) In case of non-availability of candidate of any reserved category for the remaining seats in any reserved category after allotment in second round of counselling, those seats will be converted/transferred as per the provisions of Chhattisgarh Educational Institution (Pravesh Me Reservation) Adhiniyam, 2012 (No. 9 of 2012) and allotment list will be issued only after conversion. The reserved category seats of Management Quota and NRI Quota of Private Medical Colleges will be first allotted to the candidates who are domicile of the State after conversion.

(2) In case of non-availability of eligible candidate in any class of category, the said class shall be converted into "No class of the basic category".

(3) In the process of change of class/category, change of class will take place first and then change of category.

(4) If eligible candidates are not available in the reserved category, the vacant seats will be converted into other categories as per above sub-rule.

For example, if a seat of "Defense Class" of Scheduled Tribe category remains vacant, then firstly its class will be changed and after being changed, that seat will become a "No Class" seat, thus that seat will be converted into a No Class seat of Scheduled Tribe category. If a seat of "No Class" of Scheduled Tribe category remains vacant, then its category will be changed so that it will be converted into a "No Class" seat of Scheduled Caste. It is clear from this that any "Class" seat will first be converted into "No Class" and only after that its category will be changed as per rules.

(5) In case eligible candidates are not available in EWS category, the vacant seats will be converted into unreserved category as above.

**9. Conversion of Government quota seats into Management quota seats-** If the Government quota seats remain vacant after the second round of counselling, they will be converted into Management quota seats after the last date fixed for admission in the second round of counselling of State quota.

The reserved category seats of NRI Quota of Private Medical Colleges will be first allotted to the candidates who are domicile of the State after conversion.

**10. Bond for candidates taking admission in MBBS course to serve under the State Government -**

(i) It shall be compulsory for a student admitted to MBBS course of Government Medical Colleges, that after successful completion of the under graduation course, he shall work as a Medical Officer in Government Health Centre or Government Medical College as Junior Registrar /Demonstrator /Junior Resident for a period of one year as directed by the Government. This shall not be compulsory for other courses (BDS, BPT).

(ii) Bond to work under the Government (Format Schedule V) At the time of admission a candidate shall have to furnish a bond in the prescribed form that he/she agrees to the provisions of Rule 10(1) and that in case he/she opts not to work under the Government he/she will deposit the bond amount as prescribed in Rule 10(3). Only after he/she has deposited the full amount due will be issued a No Objection Certificate as prescribed.

(iii) The amount of the bond will be Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty lakhs only for unreserved category candidates) and the amount of the bond will be Rs. 20,00,000/- (Rs. Twenty lakhs only) for reserved category students.

(iv) Candidates admitted to MBBS course under these rules will initially be awarded provisional graduation degree after successful completion of the course. Initially only provisional registration of graduation qualification will be made in the State Medical Register by the State Medical Council.

(v) Within one month of the declaration of the result of the final year, the list of all the candidates who have successfully completed the undergraduate course shall be sent to the Commissioner by the concerned Medical College.

(vi) After completion of MBBS course, within a period of six months, CG Government, Medical Education Department will issue appointment order to such graduate doctors, failing which the bond filled by the candidate will be deemed to be automatically cancelled.

(vii) After fulfilling the service period condition as per rule 10 (1) or after all dues have been deposited as per rule 10 (3) or after obtaining a bank guarantee from the candidate for the

balance period, as the case may be (depending on the option exercised by the candidate), the Commissioner shall issue a No Objection Certificate to the candidate.

(viii) The candidate will thereafter submit the said No Objection Certificate to the Dean of his/her college, on whose recommendation the final degree will be awarded by the University.

(ix) Permanent registration of graduation qualification in the State Medical Council Register will be done only on the basis of the final degree awarded to the candidate.

(x) Penalty for not complying with rule 10 (1) If a candidate opts to serve under the Government and is found guilty of not complying with rule 10(1), the entire amount of the bond as mentioned in rule 10 (iii) shall be recovered from the candidate as arrears of land revenue by the appointing office under sub-rule (vi) above. Such candidate shall not be granted No Objection Certificate as mentioned in rule 10(vii) until the entire amount due is recovered.

11. Penalty bond for leaving the seat in the middle of MBBS, BDS and BPT courses admitted in Government and Private colleges after the last date of admission. On leaving the seat after the last date of admission of third round of counselling, it will be mandatory for the candidate to pay compensation amount as per the following table.

| S.No. | Course | Unreserved Category | Reserved Categories (Including EWS Category) |
|-------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1     | MBBS   | Rs. 25.00 lakhs     | Rs. 20.00 lakhs                              |
| 2     | BDS    | Rs. 5.00 lakh       | Rs. 4.00 lakh                                |
| 3     | BPT    | Rs. 2.5 lakh        | Rs. 2.00 lakh                                |

In special circumstances, if a previously eligible medically fit student becomes medically unfit during the course and is declared unfit for the medical course by the State Medical Board, then exemption in bond amount can be given.

12. **Cancellation of Admission** - If it is found that a candidate has succeeded in getting admission in a college by giving false/incorrect information or by suppressing relevant facts or if it is found at any time after admission that the candidate has got admission due to some mistake or omission, then the admission given to the candidate shall be cancelled by the Head of the College during his/her study period can be automatically cancelled without any notice. If dissatisfied with the decision of the head of the institution, one can appeal to the office director of medical education. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the appellate officer Commissioner/Director, Medical Education, Chhattisgarh will be final and binding on all concerned.

### 13. Eligibility and rules information for Non-Resident Indian Quota

(A) Eligibility:- Only that candidate will be eligible for admission who is a citizen of India, a domicile of Chhattisgarh or a resident outside the state and who has attained the minimum age of 17 years on 31 December of the examination year.

and

Who has passed the 12th class examination of Chhattisgarh Board of Secondary Education or equivalent examination of other state boards of secondary education duly recognized by Chhattisgarh Government in English, Physics, Chemistry and Biology / Biotechnology subjects and has secured minimum 50% marks in total in Physics, Chemistry and Biology / Biotechnology subjects for unreserved category and minimum 40% marks in total in for reserved category.

and

For admission to Medical and Dental courses, who has secured minimum 50 percentile for unreserved category candidates, minimum 40 percentile for reserved category candidates and 45 percentile for unreserved category PWD candidates in the entrance examination (as per NEET Rule 02 (a) (b)) or the category-wise minimum qualifying marks prescribed by NEET entrance examination, whichever is the lowest, will be considered. (There will be no minimum qualifying marks for admission to Physiotherapy course) If the percentile is reduced by the Central Government in all categories/any category of NEET, then that will be valid.

(B) Last date for admission in NRI quota, reservation and fee: - According to CG Gazette Notification No. F 21-10/2017/9/55-4 Publication No. 279 dated 03 July 2017, out of 15 percent NRI quota seats in every private college, 32 percent seats will be reserved for scheduled tribes, 12 percent for scheduled castes and 14 percent for other backward classes (except creamy layer), institution-wise.

**Students admitted under NRI category will have to pay the fee in foreign currency and it will be mandatory to produce the receipt at the time of admission.**

(c) Eligibility and documents for the benefit of Non-Resident Indian contribution:-

1. The NRI sponsor should confirm the blood relationship of the candidate with the candidate on the mother or father's side in the candidate's generation or two generations back (e.g. relationship with father, mother, brother, sister, brother and sister's child, uncle, uncle's child, maternal uncle, maternal uncle's child, aunt, maternal aunt's child, paternal grandfather, grandmother, grandfather's grandmother). For this, the family tree certificate should be issued by the Tehsildar or the higher officer's office.

2. Proof of residence abroad like Green Card / Copy of Passport with valid visa / Strong document related to citizenship / Proof of work for 181 days or more / Any other strong document which fulfills this point.

3. OCI (Overseas citizen of India) candidates will also be eligible for General Category NRI seats, (as per directions given by the Hon'ble Supreme Court in W.P.C. 891 of 2021 dated 03-02-2023)

4. NRE/NRI/Equivalent bank account statement copy.

5. Work permit for a minimum period of 181 days or more/copy of Green Card who fulfils the criteria mentioned in point no. 02.

6. The sponsor's income must be sufficient to pay the fees for the respective course and the fees must be paid in foreign currency.

In addition to the above, the documents mentioned in Rule 7(xx) also need to be supplied.

(d) Last date of admission in NRI quota Every private professional college shall give admission to candidates in NRI quota 10 days before the last date of admission which will be the last date of admission for NRI quota.

**14.** Other orders and instructions issued by the Central Government or Medical Council of India or Dental Council of India or the Honourable Supreme Court regarding counselling date, procedure, minimum qualifying marks, fee etc. will be implemented upon receipt within the time limit.

**15. Removal of Difficulties :-** In the event of any difficulty arising in connection with these rules, the State Government may issue orders for its removal.

**16. Expiry of Merit List -** After the last date of admission for the said academic session is fixed by the Hon'ble Supreme Court, the merit list will expire and the vacant seat(s) will lapse.

**17. Repeal.-** From the date of coming into force of these rules all the previous rules relating to 'Chhattisgarh Medical and Dental Graduates/Physiotherapy Entrance Examination' shall stand repealed, however the procedure followed under those rules will be valid.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
LAVINA PANDEY, Deputy Secretary.